



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जालोर में ग्राम पंचायत माण्डवला का वार्ड पंच 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 30 अप्रैल, शनिवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये भगवानाराम वार्ड पंच, ग्राम पंचायत माण्डवला, तहसील व जिला जालोर को परिवादी से 1 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर एवं पुलिस थाना में की गई शिकायत में मदद करवाने की एवज में भगवानाराम वार्ड पंच, ग्राम पंचायत माण्डवला, तहसील व जिला जालोर द्वारा 11 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चंद विश्नोई के सुपरवीजन में एसीबी जालोर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह तथा उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये भगवानाराम पुत्र श्री जेठाराम निवासी माण्डवला हाल वार्ड पंच, ग्राम पंचायत माण्डवला, तहसील व जिला जालोर को परिवादी से 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।